



कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि (प्र0स0)
जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

फोन नम्बर :- 07856-252037, फैक्स :- 07856-252037, ई-मेल पता :- miningdantewada@gmail.com



--:: विज्ञापन ::--

क्रमांक/1457/खनिज/डीएमएफ/2019

दन्तेवाड़ा, दिनांक 20/11/2019

जिला खनिज संस्थान न्यास संशोधित नियम-2019 के नियम 13 प्रारूप- क के उपनियम (02) (न) के तहत जिला-दन्तेवाड़ा जिला खनिज संस्थान न्यास अन्तर्गत प्रभावित ग्रामों की आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों के चिन्हांकन लाभार्थ लागू होने वाली कार्ययोजनाओं की निगरानी संबंधी मास्टर प्लान/विजन डॉक्युमेन्ट निर्माण हेतु गैर सरकारी संस्थाओं/फर्मों/कंपनियों से “रूचि की अभिव्यक्ति” संबंधी प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं :-

01. प्रस्ताव प्राप्ति की अंतिम तिथि :- 10/12/2019
02. सील बंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि :- 10/12/2019
03. सील बंद प्रस्ताव खोलने की तिथि :- 11/12/2019 समय सायं 05.00 बजे
04. आवेदन प्राप्ति का स्थान :- कार्यालय कलेक्टर (डी.एम.एफ.शाखा) दन्तेवाड़ा जिला- द.ब.दन्तेवाड़ा (छ0ग0) में कार्यालयीन अवधि में आवेदन शुल्क रु. 500.00 देकर आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।

प्रस्ताव संबंधी विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाईट में dantewada.nic.in अथवा कार्यालय कलेक्टर (डी.एम.एफ. शाखा) दन्तेवाड़ा कक्ष क्रं. 148 में कार्यालयीन अवधि में देखी जा सकती है।

कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास -दन्तेवाड़ा
दन्तेवाड़ा, दिनांक/11/2019

पृ.क्रमांक/...../खनिज/डीएमएफ/2019

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग/व्यवस्थापक, जिला खनिज संस्थान न्यास, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ।
2. संचालक, भौमिक तथा खनिकर्म, छ.ग.शासन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त बस्तर संभाग-जगदलपुर को सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दन्तेवाड़ा/बचेली को सूचनार्थ।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (NIC) जिला दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ। जिला- दन्तेवाड़ा वेब पोर्टल dantewada.nic.in में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला- दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ। विज्ञापन को न्यूनतम आकार (8x2) राज्य/स्थानीय सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
8. कार्यालयीन सूचना पटल में चस्पा हेतु अतिरिक्त प्रति।
9. कार्यालयीन नस्ती।

कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास -दन्तेवाड़ा



कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि (प्र0स0)
जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

फोन नम्बर :- 07856-252037, फैक्स :- 07856-252037, ई-मेल पता :- miningdantewada@gmail.com



--: रुचि की अभिव्यक्ति :-

क्रमांक/1459/खनिज/डीएमएफ/2019

दन्तेवाड़ा, दिनांक 20/11/2019.

जिला- दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में जिला खनिज संस्थान न्यास अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 160.000 करोड़ में रुपये (शब्दों में :- एक सौ साठ करोड़ मात्र) का बजट/आबंटन प्राप्त होता है जिसके तहत खनन संक्रियाओं से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभावित 201 ग्राम/क्षेत्र हैं।

जिला खनिज संस्थान न्यास (संशोधित) नियम- 2019 उच्च प्राथमिकता के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, सतत जीविकोपार्जन, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों, महिला एवं बाल विकास, वृद्ध एवं निशःकृतजन के कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कार्ययोजना एवं अन्य प्राथमिकता के अन्तर्गत भौतिक अधोसंरचना विकास, सिंचाई, ऊर्जा और जल विभाजक विकास, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, युवा गतिविधियों को बढ़ावा तथा राज्य द्वारा निर्देशित कार्य आदि आगामी 05 वर्षों के लिए मास्टर प्लान/विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाना है। जिला खनिज संस्थान न्यास नियम-2019 (संशोधित) के प्रावधान अनुसार पंचवर्षीय कार्ययोजना निर्माण के लिए अनुभवी पंजीकृत गैर सरकारी संस्थान, फर्म/कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। नीचे दर्शित अनुसार रुचि की अभिव्यक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं।

I- प्रस्ताव जमा करने हेतु आवेदन संस्था के लिए पात्रता : -

1. शासकीय योजनाओं की कार्य योजना निर्माण/नियोजन करने का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। (अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा)
2. आवेदककर्ता संस्था का विगत तीन वर्षों का औसतन वार्षिक टर्नओवर रुपये 500.00 लाख या अधिक होना चाहिए।
3. आयकर विभाग द्वारा जारी PAN एवं TAN नंबर/जीएसटी पंजीयन/सर्विस टैक्स पंजीयन एवं अन्य संबंधित शासकीय विभाग(यदि कोई आवश्यक हो तो) में संस्था पंजीकृत होनी चाहिए।
4. आवेदनकर्ता संस्था किसी शासकीय विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड न हो तथा संस्था के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही भारत के किसी सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए। तद्व संबंधी शपथ-पत्र 100.00 रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

II- तकनीकी प्रस्ताव :- के साथ अधोलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

1. कंडिका क्रमांक I (3) में दर्शाए अनुसार संस्था का विभिन्न विभागों में वैधानिक पंजीयन के साक्ष्य।
2. संस्था के पदाधिकारियों की नवीनतम प्रमाणित सूची नाम, पता तथा सम्पर्क नम्बर सहित।
3. संस्था की ओर से प्रस्ताव देने वाले अधिकृत सदस्य संबंधी संस्था का प्रमाणन।
4. आवेदनकर्ता संस्था का विगत 03 वित्तीय वर्षों का आयकर विभाग में दाखिल आई.टी. रिटर्न की प्रमाणित प्रति।
5. कंडिका क्रमांक I (4) में दर्शाए अनुसार शपथ-पत्र।
6. आवेदनकर्ता संस्था का विगत 03 वित्तीय वर्षों का सान्निधि लेखाकार (सी.ए.) द्वारा अंकेक्षित ऑडिट रिपोर्ट एवं बैलेन्स शीट सहित।
7. प्रस्ताव के साथ रु. 2,00,000.00 (शब्दों में रुपये दो लाख) मात्र की अमानत राशि देय होगी जो कलेक्टर सह पदेन अध्यक्ष (प्र.स.) जिला खनिज संस्थान न्यास दन्तेवाड़ा के नाम पर देय डी.डी. के रूप में तैयार करवाकर तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में संलग्न की जानी होगी।
8. आवेदक संस्था का पूर्व कार्यानुभव विवरण।
9. रुचि की अभिव्यक्ति संबंधी अपने प्रस्ताव के प्रमुख बिन्दु तथा उनको लागू किए जाने की चरणबद्ध प्रक्रिया।
10. विषय विशेषज्ञ की योग्यता एवं अनुभव :- कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु संबंधित संस्थान में योजना निर्माण, सामाजिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं पोषित क्षेत्र से संबंधित न्यूनतम 06 विशेषज्ञ होंगे। विशेषज्ञों की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी :-

क्रं.	विशेषज्ञ	आयु	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4
01.	सामाजिक क्षेत्र	30-60 वर्ष	समाजशास्त्र की स्नातकोत्तर उपाधि/सोशल इंजीनियरिंग में डिग्री/एमएसडब्ल्यू सहित न्यूनतम 05 वर्षों का सामाजिक क्षेत्र में कार्यानुभव।
02.	कृषि क्षेत्र	30-60 वर्ष	एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता सहित 05 वर्षों का कृषि क्षेत्र में कार्यानुभव।
03.	शिक्षा	30-60 वर्ष	समाजशास्त्र की स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष सहित शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्षों का कार्यानुभव।
04.	स्वास्थ्य एवं पोषण	30-60 वर्ष	एमबीबीएस/हेल्थ एण्ड न्यूट्रिशन साइन्स में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में 05 वर्षों का कार्यानुभव
05.	अधोसंरचना	30-60 वर्ष	एम.ई./एम.टेक सहित योजना निर्माण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता प्रशिक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्षों का कार्यानुभव (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल डिग्री धारी को वरियता)
06.	युवा एवं कौशल विकास एवं रोजगार	30-60 वर्ष	एम.ई./एम.टेक सहित योजना निर्माण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता प्रशिक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्षों का कार्यानुभव

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव को शिथिल करने का अधिकार जिला स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा। प्रस्तुत प्रस्ताव में समस्त आवश्यक सहपत्रों के साथ विशेषज्ञों के बायोडाटा एवं नवीनतम फोटो संलग्न किया जावे।

III- वित्तीय प्रस्ताव :-

01. दन्तेवाड़ा जिला खनिज संस्थान न्यास अन्तर्गत प्रभावित ग्रामों के आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों के चिन्हांकन लाभार्थ लागू होने वाली कार्ययोजनाओं की निगरानी संबंधी मास्टर प्लान/विजन डॉक्युमेन्ट तैयार करने के लिए संस्था द्वारा प्रस्तावित राशि निम्न विवरण अनुसार प्रत्येक वर्ष हेतु पृथक-पृथक प्रस्तुत किया जाना है-

क्रं.	वर्ष	सर्वे/विजन डॉक्युमेन्ट	निगरानी /सामाजिक संपरीक्षा	योग
01	प्रथम वर्ष			
02	द्वितीय वर्ष			
03	तृतीय वर्ष			
04	चतुर्थ वर्ष			
05	पंचम वर्ष			

IV- प्रस्ताव प्रस्तुत करने की विधि :-

- 1- निम्नांकित पते पर दिनांक 10/12/2019 समय शाम 5.00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से **कार्यालय कलेक्टर (डी.एम.एफ. शाखा) दन्तेवाड़ा, जिला- दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (80G0) कक्ष क्रमांक- 148** में प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे।
- 2- तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग बंद लिफाफे में प्राप्त किये जायेंगे। जिसके लिए लिफाफे के ऊपर निम्नानुसार लिखा जाना अनिवार्य होगा।

(अ) “ कार्ययोजना हेतु तकनीकी प्रस्ताव”
(ब) “ कार्ययोजना हेतु वित्तीय प्रस्ताव”
- 3- कार्यालय में संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर प्रस्ताव जमा किए जाने पर रुचि की अभिव्यक्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 4- चयन प्रक्रिया में विचार योग्य न पाए जाने वाली संस्था के द्वारा प्रस्तुत डी.डी. बिना ब्याज के वापस किए जावेंगे।

V- मूल्यांकन प्रणाली :-

- 01- पात्रता प्राप्त करने वाले प्रस्तावों को मूल्यांकन समिति के द्वारा 03 चरणों में निम्नानुसार मूल्यांकन किया जायेगा।

02- चरण 01 - अनुभव एवं साक्ष्य आधारित मूल्यांकन :-

क्रमांक	सूचकांक	अंक	अधिकतम अंक
1	2	3	4
01.	संस्था के संचालक मंडल की योग्यता एवं अनुभव (यूजी स्तर)	5	15
02.	संस्था के संचालक मंडल की योग्यता एवं अनुभव (पीजी स्तर)	10	
03.	संस्था के संचालक मंडल की योग्यता एवं अनुभव (पीएचडी स्तर)	15	
04.	पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 10 वर्षों से कम के अनुभव पर।	5	15
05.	पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 10 वर्षों से अधिक के अनुभव पर।	10	
06.	पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 20 वर्षों से अधिक के अनुभव पर।	15	
07.	किसी भी विभाग या अन्य एजेंसी द्वारा जारी कार्यदेश के अनुसार संस्था का 10 वर्षों से कम के अनुभव पर।	5	15
08.	किसी भी विभाग या अन्य एजेंसी द्वारा जारी कार्यदेश के अनुसार संस्था का 10 वर्षों से अधिक के अनुभव पर।	10	
09.	किसी भी विभाग या अन्य एजेंसी द्वारा जारी कार्यदेश के अनुसार संस्था का 20 वर्षों से अधिक के अनुभव पर	15	
10.	छत्तीसगढ़ में कार्यानुभव के साक्ष्य	10	10
11.	विशेषज्ञों की योग्यता जिसमें 05 वर्षों के कार्ययोजना निर्माण के अनुभव स्पष्ट हो।	5	15
12.	विशेषज्ञों की योग्यता जिसमें 10 वर्षों के कार्ययोजना निर्माण के अनुभव स्पष्ट हो।	10	
13.	विशेषज्ञों की योग्यता जिसमें 15 वर्षों के कार्ययोजना निर्माण के अनुभव स्पष्ट हो।	15	
14.	पिछले 03 वर्षों का औसतन वार्षिक आय-व्यय 500.00 लाख तक।	05	10
15.	पिछले 03 वर्षों का औसतन वार्षिक आय-व्यय 500.00 लाख से अधिक।	10	
	कुल अंक :-		80

03- चरण 02 : प्रस्तुतीकरण :-

प्रथम मूल्यांकन में न्यूनतम 55 अंक प्राप्तकर्ता संस्था को मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के लिये अधिकतम 20 अंक निर्धारित किये गये हैं। जिसके अनुसार समीक्षा की जायेगी।

04- चरण 03 - वित्तीय प्रस्ताव की समीक्षा :-

प्रस्तुतीकरण में 15 से अधिक अंक प्राप्तकर्ता संस्थाओं के वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा की जायेगी।

05- अंको के आधार पर अनुशासित संस्था के वित्तीय प्रस्ताव को विचार में लिया जाकर संबंधी संस्था से प्रत्यक्ष चर्चा के आधार पर मूल्यांकन समिति के द्वारा जिला खनिज न्यास को अनुशांसा प्रेषित की जावेगी।

06- उपरोक्तानुसार समिति द्वारा अनुशासित प्रस्ताव प्रस्तुत की गई अभिरुचि प्रस्ताव पर दन्तेवाड़ा जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद् की बैठक में विचारार्थ रखी जावेगी। प्रस्ताव को स्वीकार करने /अस्वीकार करने अथवा किसी बिन्दु पर आवेदनकर्ता संस्था से अतिरिक्त तथ्य/सूचना/जानकारी मांगे जाने पर सम्पूर्ण अधिकार प्रभारी मंत्री जी/अध्यक्ष शासी परिषद् जिला खनिज संस्थान न्यास दन्तेवाड़ा को होगा तथा इसके विरुद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और न ही कोई आपत्ति मान्य होगी।

07- सहभागी कार्ययोजना हेतु प्रस्तुत की गई अभिरुचि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संबंधित संस्थान को उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर कलेक्टर सह पदेन अध्यक्ष, (प्रबंधकारिणी समिति) जिला खनिज संस्थान न्यास दन्तेवाड़ा के साथ एक अनुबंध संपादित करना होगा।

08- कार्य योजना तैयार करने में क्षेत्र भ्रमण किया जाना होगा इस संबंध में वाहन, पी.ओ.एल. की व्यवस्था संबंधित चिन्हित संस्थाओं/फर्मों को ही स्वयं करना होगा।

09- योजना से संबंधित अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष (प्रबंधकारिणी समिति) जिला- खनिज संस्थान न्यास दन्तेवाड़ा का मान्य होगा।

कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास -दन्तेवाड़ा

पृ.क्रमांक/...../खनिज/डीएमएफ/2019

दन्तेवाड़ा, दिनांक/11/2019

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग/व्यवस्थापक, जिला खनिज संस्थान न्यास, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ।
2. संचालक, भौमिक तथा खनिकर्म, छ.ग.शासन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त बस्तर संभाग-जगदलपुर को सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दन्तेवाड़ा/बचेली को सूचनार्थ।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (NIC) जिला दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ। रुचि की अभिव्यक्ति को जिला- दन्तेवाड़ा वेब पोर्टल dantewada.nic.in में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला- दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ।
8. कार्यालयीन सूचना पटल में चस्पा हेतु अतिरिक्त प्रति।
9. कार्यालयीन नस्ती।

कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास -दन्तेवाड़ा

प्रपत्र भाग- “अ” तकनीकी आर्हता एवं धरोहर राशि

क्रमांक

प्रति,

कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष (प्र.स.)
जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ)
जिला- दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

महोदय,

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष (प्र.स.) जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) जिला- दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0) के अन्तर्गत जिला खनिज संस्थान न्यास संशोधित नियम-2019 के नियम 13 प्रारूप- क के उपनियम (02) (न) के तहत जिला- दन्तेवाड़ा जिला खनिज संस्थान न्यास अन्तर्गत प्रभावित ग्रामों की आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों के चिन्हांकन लाभार्थ लागू होने वाली कार्ययोजनाओं की निगरानी संबंधी पंचवर्षीय मास्टर प्लान/विजन डॉक्युमेन्ट निर्माण हेतु प्रकाशित विज्ञापन/रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर मेरे द्वारा दी गई शर्तों, नियमों तथा परिशिष्टों में दिये गये पूर्ण विवरण को पढ़कर भली-भाँती समझकर तथा सहमत होकर निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करता/करते हैं :-

- (01) फर्म/संस्था/सोसायटी का पूरा नाम पता तथा दूरभाष क्रमांक :-
- (02) फर्म/संस्था/सोसायटी के स्वामी का नाम एवं पता :-
- (03) यदि भागीदार है तो नाम व पता :-
- (04) फर्म/संस्था/सोसायटी का पंजीयन क्रमांक/दिनांक :-
- (05) अंतिम 03 वर्षों का ITR :-
- (06) फर्म/संस्था/सोसायटी का नाम, वाणिज्यकर :-
- (07) फर्म/संस्था/सोसायटी का बैंक नाम व खाता क्रमांक :-
- (08) अमानत राशि का विवरण बैंक का नाम डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर./सावधि जमा पत्र नंबर व दिनांक :-
- (09) रुचि की अभिव्यक्ति की शर्तों का सहमति पत्र :-
- (10) रुचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र के साथ प्रस्तुत/संलग्न दस्तावेजों की सूची :-
- | | |
|----------|----------|
| 01. | 05. |
| 02. | 06. |
| 03. | 07. |
| 04. | 08. |

हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी/दस्तावेज सही हैं। गलत प्रमाण-पत्र अथवा अभिलेख/जानकारी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही की जायेगी, उसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर एवं सील
फर्म/संस्था/सोसायटी

फर्म/संस्था/सोसायटी द्वारा उपरोक्तानुसार जिन दस्तावेजों का विवरण दिया जा रहा है, उसको स्व. प्रमाणित प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत किये जा रहे सभी दस्तावेजों/फर्म/संस्था/सोसायटी के नाम पर होना अनिवार्य होगा, अन्यथा रुचि की अभिव्यक्ति मान्य नहीं होगी। रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेज व प्रमाण पत्र वैधता की परिधि में होना आवश्यक है, अन्यथा रुचि की अभिव्यक्ति विचारणीय नहीं होगी।

प्रपत्र भाग- “ब” दर संबंधी विवरण राशि

क्रमांक

प्रति,

**कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष (प्र.स.)
जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ)
जिला- दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)**

महोदय,

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष (प्र.स.) जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) जिला- दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0) के अन्तर्गत जिला खनिज संस्थान न्यास संशोधित नियम-2019 के नियम 13 प्रारूप- क के उपनियम (02) (न) के तहत जिला- दन्तेवाड़ा जिला खनिज संस्थान न्यास अन्तर्गत प्रभावित ग्रामों की आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों के चिन्हांकन लाभार्थ लागू होने वाली कार्ययोजनाओं की निगरानी संबंधी पंचवर्षीय मास्टर प्लान/विजन डॉक्युमेन्ट निर्माण हेतु प्रकाशित विज्ञापन/रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर मेरे द्वारा दी गई शर्तों, नियमों तथा परिशिष्टों में दिये गये पूर्ण विवरण को पढ़कर भली-भाँती समझकर तथा सहमत होकर निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करता/करते हूँ :-

(01) फर्म/संस्था/सोसायटी का पूरा नाम पता तथा दूरभाष क्रमांक :-

(02) फर्म/संस्था/सोसायटी का स्वरूप
(स्वामित्व/भागीदारी/प्रा.लि./लि.कंपनी) :-

(03) फर्म/संस्था/सोसायटी के स्वामी का नाम एवं पता :-

III- वित्तीय प्रस्ताव :-

जिला- दन्तेवाड़ा जिला खनिज संस्थान न्यास अन्तर्गत प्रभावित ग्रामों के आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों के चिन्हांकन लाभार्थ लागू होने वाली कार्ययोजनाओं की निगरानी संबंधी मास्टर प्लान/विजन डॉक्युमेन्ट तैयार करने के लिए संस्था द्वारा प्रस्तावित राशि निम्न विवरण अनुसार प्रत्येक वर्ष हेतु पृथक-पृथक प्रस्तुत किया जाना है-

क्रमांक	वर्ष	सर्वे/विजन डॉक्युमेन्ट	निगरानी /सामाजिक संपरीक्षा	योग
1	2	3	4	5
01.	प्रथम वर्ष			
02.	द्वितीय वर्ष			
03.	तृतीय वर्ष			
04.	चतुर्थ वर्ष			
05.	पंचम वर्ष			

हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी/दस्तावेज सही हैं। गलत प्रमाण-पत्र अथवा अभिलेख/जानकारी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही की जायेगी, उसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।

**हस्ताक्षर एवं सील
फर्म/संस्था/सोसायटी**

फर्म/संस्था/सोसायटी द्वारा उपरोक्तानुसार जिन दस्तावेजों का विवरण दिया जा रहा है, उसको स्व. प्रमाणित प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत किये जा रहे सभी दस्तावेजों/फर्म/संस्था/सोसायटी के नाम पर होना अनिवार्य होगा, अन्यथा रुचि की अभिव्यक्ति मान्य नहीं होगी। रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेज व प्रमाण पत्र वैधता की परिधि में होना आवश्यक है, अन्यथा रुचि की अभिव्यक्ति विचारणीय नहीं होगी।